न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 140 / 2015–16 अन्तर्गत धारा–219 भू0राअधि0

1.दीपक पुत्र खड़क बहादुर निवासी लेन नम्बर–2, पोस्ट ऑफिस रोड, क्लेमनटाउन, देहरादून

2. रविन्द्र कुमार पुत्र श्री विजय सिंह निवासी सोसाईटी एरिया, क्लेमनटाउन, देहरादून।

बनाम

1. राममूर्ति पुत्र स्व0अमर चन्द 2. भारत भूषण पुत्र श्री राममूर्ति

3. श्रीमती मीनू पत्नी श्री भारत भूषण निवासीगण 207 इन्द्रानगर, देहरादून।

4. श्री रतन पुत्र नन्दा निवासी सेंवलाकला परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : श्री अंकित गुप्ता।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदातागण : श्री अरूण सक्सेना।

निर्णय

यह निगरानी निगरानकर्तागण उपरोक्त द्वारा अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, शिविर–देहरादून द्वारा निगरानी संख्या–1 / 2015–16 राममूर्ति आदि बनाम दीपक आदि में पारित आदेश दिनांक 11–01–2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। निगरानी में अन्य तथ्यों के अतिरिक्त यह उल्लेख किया गया है कि अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में वर्तमान निगरानीकर्तागण द्वारा उचित पैरवी नहीं की गई एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस का संज्ञान लिये बिना आक्षेपित आदेश पारित किया गया। विद्वान अपर आयुक्त ने उनके समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों को कोई संज्ञान नहीं लिया एवं उत्तरदातागण संख्या–01 से 03 ने जो कि धनवान एवं बलशाली व्यक्ति हैं उत्तरदाता संख्या–04 को लालच देकर अपने साथ मिलाकर उसका प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया गया है। निगरानीकर्तागण के अनुसार परगनाधिकारी, देहरादून का आदेश दिनांक 03–08–2015 विधिसम्मत है जिसे यथावत रहना चाहिए। विकल्प में विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत निगरानी प्रतिप्रेषित की जाय ताकि निगरानीकर्तागण को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर निगरानी निर्णीत हो सके। निगरानी पत्र में कतिपय वैयक्तिक आक्षेप भी लगाये गये हैं। निगरानी प्रस्तुत होने के उपरान्त उत्तरदातागण 01 से 03 की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसमें कहा गया कि आक्षेपित आदेश का प्रभाव अन्तरिम है जिसके विरूद्व निगरानी पोषणीय नहीं है क्योंकि परगनाधिकारी, देहरादून को आदेश दिनांक

03–08–2015 निरस्त कर मूल कार्यवाही प्रतिप्रेषित की गई है, कि रतन पुत्र नन्दा ने अपर आयुक्त के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, कि उसके द्वारा दुरस्ती का कोई प्रार्थना पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया है। तद्नुसार आलोच्य कार्यवाही फर्जी दस्तावेजों से प्रारम्भ की गई है, कि प्रथम निगरानी में विद्वान अधिवक्ता श्री गुरू प्रसाद द्वारा बहस की गई है, कि निगरानीकर्तागण खसरा नम्बर 417 के किसी भाग पर अध्यासन नहीं है, कि निगरानीकर्तागण ने उत्तरदाता संख्या–1 को शपथ पत्र के अन्तर्गत मृतक दर्शाकर कार्यवाही की है जबकि वह अभी भी जीवित है एवं उसके द्वारा प्रतिउत्तरदाता संख्या–1 व 2 के पक्ष में दानपत्र निष्पादित किया गया है जिसके आधार पर प्रतिउत्तरदाता संख्या–1 व 2 का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हो गया है। तद्नुसार निगरानी पोषणीय न होना बताया गया।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावलियों का भली–भाँति अध्ययन किया।

सर्वप्रथम आलोच्य निर्णय/आदेश दिनांक 11–01–2016 को यदि देखें तो विद्वान अपर आयुक्त ने यह पाया है कि दुरस्ती की कार्यवाही में समन तामील नहीं कराये गये हैं। तद्नुसार उन्हें बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये खतौनी में याचित शुद्वि अंकित कर दी गई है जो न्यायोचित नहीं है। विद्वान अपर आयुक्त के उक्त निष्कर्ष मात्र से ही मूल कार्यवाही में प्रतिप्रेषण का प्रकरण बनता है क्योंकि उन्होंने अभिलेख शुद्वि/दुरस्ती प्रकरण में प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र कागज संख्या–5/2 अपोषणीय नहीं माना है। विपरीत इसके तहसीलदार, देहरादून की आख्या दिनांक 28–04–2015 में वर्णित त्रुटि को शुद्व किये जाने की संस्तुति की है। तद्नुसार मूल अभिलेख शुद्वि प्रार्थना पत्र में उत्तरदाता संख्या–4 ने उसके द्वारा प्रथम निगरानी में प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर यह माने जाने पर भी कि मूल प्रार्थना पत्र पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं मूल प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत विधिवत सम्पन्न की जानी आवश्यक है। तद्नुसार विद्वान अपर आयुक्त के आक्षेपित निर्णय/आदेश द्वारा विद्वान परगनाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–08–2015 अपास्त होने की स्थिति में भी अभिलेख शुद्वि/दुरस्ती की कार्यवाही विधिवत पुनः सम्पादित किया जाना आवश्यक है। विद्वान अपर आयुक्त ने प्रतिप्रेषण सम्बन्धी निर्देश अपने आदेश में नहीं अंकित किये हैं। सम्भव है कि यह एक भूल (omission) मात्र है क्योंकि उनके द्वारा दुरस्ती की कार्यवाही समाप्त (quash) नहीं की है। वैसे भी दुरस्ती के प्रार्थना पत्र की तार्किक परिणती आवश्यक है। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह स्वीकार करते हैं कि मूल दुरस्ती की कार्यवाही पुनः विधिवत परीक्षण कर विचारण हेतु प्रतिप्रेषित की जाती तो वर्तमान निगरानी नहीं प्रस्तुत की जाती। तद्नुसार विद्वान अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दिनांक 11–01–2016 इस आशय से संशोधित होने योग्य है कि परगनाधिकारी, देहरादून उत्तरदातागण एवं अन्य हितबद्व पक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर मूल अभिलेख शुद्वि/दुरस्ती का प्रार्थना पत्र का विधिवत निस्तारण करेंगे।

विद्वान अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 11–01–2016 में कई तथ्यों एवं स्थितियों का विश्लेषण एवं विवेचन किया है एवं कतिपय निष्कर्ष भी अंकित किए हैं, क्योंकि मूल कार्यवाही में नये सिरे से गुणदोष के आधार पर परीक्षण व विचारण होना है, अतः विद्वान परगनाधिकारी दुरस्ती की कार्यवाही के प्रकरण के गुणदोष के सम्बन्ध में प्रथम निगरानी न्यायालय एवं इस न्यायालय के गुणदोष सम्बन्धी निष्कर्ष अथवा मत से अप्रभावित अथवा भारित हुए बिना मूल कार्यवाही का विधिवत निस्तारण करेंगे।

बहस में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के स्तर पर कतिपय प्रक्रियात्मक कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है एवं गुणावगुण सम्बन्धी तर्क प्रस्तुत किये गये हैं। चूँकि मूल कार्यवाही नये सिरे से सम्पादित होनी है अतः उभयपक्ष स्वतन्त्र होंगे कि वे मूल कार्यवाही के उचित चरण पर इस सम्बन्ध में सम्बन्धित न्यायालय का ध्यान आकर्षित करें।

वर्तमान प्रकरण में दोनों पक्षों ने अपनी–अपनी निगरानियों में अधिकारियों के सम्बन्ध में वैयक्तिक आक्षेप भी किये हैं जो कि एक स्वस्थ परम्परा नहीं है। विधिक/न्यायिक अभिवचन तथ्यों, विधि एवं विधिक व्यवस्था पर आधारित [redacted] होने चाहिए न कि व्यक्तिगत आक्षेप व लांछन पर। यदि सम्बन्धित पक्षकार ऐसे व्यक्तिगत एवं लांछन के प्रति गम्भीर हों एवं इनके सम्बन्ध में निश्चित कार्यवाही की अपेक्षा करते हों तो उन्हें सम्बन्धित अधिकारी के अनुशासनिक/नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष आधार एवं साक्ष्य सहित परिवाद प्रस्तुत करना चाहिए अन्यथा न्यायिक प्रकरणों में अनावश्यक भटकन (distraction) नहीं उत्पन्न किया जाना चाहिए।

आदेश

निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 11–01–2016 इस आशय से संशोधित किया जाता है कि मूल अभिलेख शुद्धि/दुरस्ती की कार्यवाही सभी सम्बद्ध एवं हितबद्ध पक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिवत सम्पादित की जाय जिसमें इस न्यायालय अथवा प्रथम निगरानी न्यायालय के प्रकरण सम्बन्धी गुणावगुण विषयक टिप्पणी, निष्कर्ष एवं मत से प्रभावित, बाध्य अथवा भारित हुए बिना निर्णयादेश पारित किया जाय। अवर न्यायालय की वाद पत्रावलियाँ वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक **11–07–2016** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)